भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं 572
28 नवंबर, 2024 को उत्तर देने के लिए

ओडीओपी का संवर्धन

572. श्री अमरिंदर सिंह राजा वारिंग:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा पंजाब विशेषकर लुधियाना जिले में खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने और स्थानीय उत्पादों के लिए बाज़ार पहुंच में सुधार करने के लिए प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण (पीएमएफएमई) योजना के अंतगर्त एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) पहल को बढ़ावा देने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/ किए जा रहे हैं;

(ख) क्या सरकार द्वारा उक्त राज्य के विभिन्न जिलों विशेषकर लुधियाना में विशिष्ट खाद्य उत्पादों की पहचान करने और उन्हें सहायता प्रदान करने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं/ उठाए जा रहे हैं और यदि हाँ, तो तत्सबंधी ब्यौरा क्या है;और

(ग) लुधियाना सहित उक्त राज्य में ओडीओपी परियोजनाओ के लिए निधियों और संसाधनों का उचित वितरण सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क) और (ख): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) देश में सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के उन्नयन के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करने के लिए एक केंद्र प्रायोजित- "प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) स्कीम" को लागू कर रहा है। यह योजना 10,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 2020-21 से 2025-26 तक पांच साल की अवधि के लिए चालू है। इस स्कीम का उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के असंगठित क्षेत्र में वर्तमान वैयक्तिक सूक्ष्म उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना और क्षेत्र के औपचारिकीकरण को बढ़ावा देना है।

यह स्कीम मुख्य रूप से एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) दृष्टिकोण को अपनाती है ताकि आदानों की खरीद, सामान्य सेवाओं का लाभ उठाने और उत्पादों के विपणन के मामले में पैमाने का लाभ उठाया जा सके। यह मूल्य श्रृंखला विकास और सहायक अवसंरचना के संरेखण के लिए रूपरेखा प्रदान करती है। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा ओडीओपी की पहचान कृषि उत्पादन, कच्चे माल की उपलब्धता, उत्पादों का विकारी होना आदि के आधार पर की जाती है। ओडीओपी को बढ़ावा देने के लिए पीएमएफएमई के अंतर्गत भावी उद्यमियों को दी गई वित्तीय सहायता का विवरण **अनुबंध-I** में है।

मंत्रालय ने राज्य/केंद्र शासित राज्यों की अनुशंसा के आधार पर 35 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 726 जिलों के लिए एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) को मंजूरी दी है।

पंजाब राज्य में 18 अनुपम उत्पादों के साथ 23 जिलों के लिए ओडीओपी का अनुमोदन किया गया है। लुधियाना जिला के लिए बेकरी उत्पाद की ओडीओपी के रूप में पहचान की गई है। लुधियाना जिला सहित पंजाब राज्य के लिए अनुमोदित ओडीओपी की सूची **अनुबंध-II** में दी गई है। 31 अक्तूबर 2024 तक लुधियाना ज़िले में 12 बेकरी उत्पाद (ओडीओपी) के लिए सहित पंजाब राज्य में स्कीम के अंतर्गत ओडीओपी आधारित उद्यमों की स्थापना/उन्नयन हेतु 140 लाभार्थियों को क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी स्वीकृत की गई है।

(ग): पीएमएफएमई स्कीम के अंतर्गत विशेष रूप से ओडीओपी परियोजनाओं के लिए निधियाँ आबंटित नहीं की जाती हैं। तथापि, ओडीओपी परियोजनाएं सहित स्कीम के विभिन्न घटकों को लागू करने के लिए लुधियाना सहित पंजाब राज्य को 31 अक्तूबर, 2024 तक 93.14 करोड़ रुपये का केंद्रीय हिस्सा जारी किया गया है।

*****

अनुबंध-I

दिनांक 28.11.2024 को उत्तर हेतु "ओडीओपी का संवर्धन" के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 572 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) स्कीम के अंतर्गत उद्यमों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता का विवरण निम्नानुसार है:

(i) वैयक्तिक/समूह श्रेणी सूक्ष्म उद्यमों को सहायता: पात्र परियोजना लागत के 35% की दर से क्रेडिट-लिंक्ड पूंजी सब्सिडी, अधिकतम सीमा 10 लाख रुपये प्रति इकाई;

(ii) स्वयं सहायता समूहों को प्रारम्भिक पूंजी के लिए सहायता: कार्यशील पूंजी और छोटे औजारों की खरीद के लिए खाद्य प्रसंस्करण में लगे स्वयं सहायता समूहों के प्रत्येक सदस्य को 40,000 रुपये की दर से प्रारम्भिक पूंजी, प्रति स्वयं सहायता समूह संघ के लिए अधिकतम 4 लाख रुपये के अध्यधीन होगी।

(iii) सामान्य अवसंरचना के लिए सहायता: एफपीओ, एसएचजी, सहकारी समितियों और किसी भी सरकारी अभिकरण को सामान्य अवसंरचना स्थापित करने के लिए सहायता देने के लिए 35% की दर से क्रेडिट लिंक्ड पूंजी सब्सिडी, अधिकतम 3 करोड़ रुपये के अध्यधीन होगी। सामान्य अवसंरचना अन्य इकाइयों और आम जनता के लिए भी उपलब्ध होगी, ताकि वे क्षमता के बड़े हिस्से के लिए किराये के आधार पर इसका उपयोग कर सकें।

(iv) ब्रांडिंग और विपणन सहायता: एफपीओ/एसएचजी/सहकारी समितियों या सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के एसपीवी को ब्रांडिंग और विपणन के लिए 50% तक अनुदान ।

(v) क्षमता निर्माण: इस स्कीम में उद्यमिता विकास कौशल (ईडीपी+) के लिए प्रशिक्षण की परिकल्पना की गई है: खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और उत्पाद विशिष्ट कौशल की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कार्यक्रम को संशोधित किया गया है।

*****

अनुबंध-II

दिनांक 28.11.2024 को उत्तर हेतु "ओडीओपी का संवर्धन" के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 572 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

लुधियाना जिले सहित पंजाब राज्य के लिए अनुमोदित ओडीओपी की सूची

क्र. सं.	ज़िला	ओडीओपी
1	अमृतसर	अचार और मुरब्बा
2	बरनाला	मांस/ चिकन/ पोल्ट्री उत्पाद
3	बठिंडा	शहद
4	फतेहगढ़ साहिब	गुड़
5	फाजिल्का	किन्नू आधारित उत्पाद
6	फरीदकोट	दूध आधारित उत्पाद
7	फिरोजपुर	मिर्च आधारित उत्पाद
8	गुरदासपुर	गन्ना आधारित उत्पाद
9	होशियारपुर	गुड़ एवं सम्बद्ध उत्पाद
10	जालंधर	आलू आधारित उत्पाद
11	कपूरथला	टमाटर आधारित उत्पाद
12	लुधियाना	बेकरी उत्पाद
13	मलेरकोटला	जानवरों का चारा
14	मनसा	दूध आधारित उत्पाद
15	मोगा	आलू आधारित उत्पाद
16	पठानकोट	लीची आधारित उत्पाद
17	पटियाला	अमरूद आधारित उत्पाद
18	रूपनगर	आम आधारित उत्पाद
19	संगरूर	मशरूम
20	एसएएस नगर	गन्ना आधारित उत्पाद
21	एसबीएस नगर	मटर आधारित उत्पाद
22	श्री मुक्तसर साहिब	दूध आधारित उत्पाद
23	तरन्नतारन	नाशपाती आधारित उत्पाद

पंजाब राज्य के लिए ओडीओपी के रूप में 18 अनुपम उत्पादों की सूची

क्र.सं.	ओडीओपी
1	अचार और मुरब्बा
2	मांस/ चिकन/ पोल्ट्री उत्पाद
3	शहद
4	गुड़
5	किन्नू आधारित उत्पाद
6	दूध आधारित उत्पाद
7	मिर्च आधारित उत्पाद
8	गन्ना आधारित उत्पाद
9	आलू आधारित उत्पाद
10	टमाटर आधारित उत्पाद
11	बेकरी उत्पाद
12	जानवरों का चारा
13	लीची आधारित उत्पाद
14	अमरूद आधारित उत्पाद
15	आम आधारित उत्पाद
16	मशरूम
17	मटर आधारित उत्पाद
18	नाशपाती आधारित उत्पाद

*****